

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2024/ 5097

पीठासीन अधिकारी-श्री समदर सिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 27.08.24

1 गोर्धनराम पुत्र
खेताराम जाति जाट
निवासी हरखाणी गोदारों
की ढाणी, पटवार हल्का
कवास तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण


1 नन्दराम पुत्र मगाराम 2 पूनमाराम पुत्र नन्दराम 3
चूनाराम 4 टीकमाराम पिसरान मेहराराम 5 ईशराराम
पुत्र खेताराम 6 देवाराम पुत्र रिडमलराम 7 नवलाराम
पुत्र जेठाराम 8 उदाराम 9 लच्छाराम पिसरान उगराराम
10 अचलाराम पुत्र रिडमलराम जाति जाट 11 चनणाराम
12 नीम्वाराम 13 मूलाराम पिसरान पीराराम 14 लेहरो
पत्नी पीराराम 15 वगताराम 16 सताराम 17 हीराराम
पिसरान पीराराम जाति दर्जी निवासी हरखाणी गोदारों
की ढाणी, पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर 18 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 452/2024

दिनांक- 16.08.24

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरखाणी गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर
ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 801/139 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या
817/797 रकबा 0.3238 हैक्टेयर, खसरा संख्या 819/803 रकबा 0.9713 हैक्टेयर, खसरा संख्या
821/806 रकबा 4.9006 हैक्टेयर कुल रकबा 6.2524 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये
मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदर सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2024/ 5098-5101

दिनांक- 27.08.24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी गोर्धनराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण नन्दराम पुत्र मगाराम वगैरह जाति जाट निवासी हरखाणी गोदारों की ढाणी, पटवार हल्का कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर